स्त्री-गर्भपात

के नाम पर

लड़कियों की हत्या

हर अन्याय से लड़कियों को बचाओ



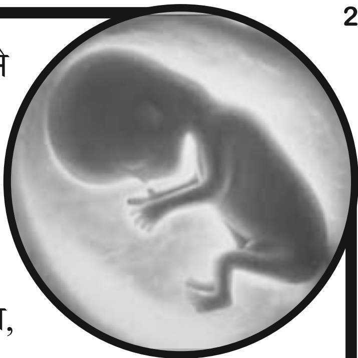




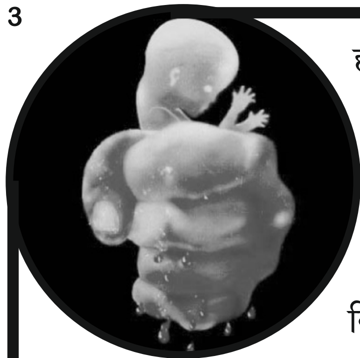


परिचय: स्त्री गर्भपात, यह शब्द आज मानव समाज के लिए कोई नया या अपरिचित शब्द नहीं है। सभी मनुष्य इस विषय से परिचित हैं। आज के हालात में यह विषय बहुत प्रमुख है, एक सच्चा मनुष्य इसे न सरल रूप में ले सकता है , और न इसको नज़रअंदाज़ कर सकता है। हमारा देश जो कि एक पुरुष-प्रधान देश है, जहां परिवार में पुत्र को प्रमुखता दी जाती है; वहीं लड़की होने पर उसकी गर्भ में ही हत्या कर दी जाती है। जबकि गर्भ, हमारे रचयिता की योजना के अनुसार शिशु के लिए, सबसे सुरक्षित और सुविधापूर्ण स्थान है। वही जगह आज संसार में लड़कियों के लिए सबसे असुरक्षित और कब्रस्तान बन गया है, क्योंकि सबसे ज़्यादा स्त्री गर्भपात के नाम पर लड़कियों की हत्याएं वहीं होती हैं।

आज एक निर्दोष बच्चे की हत्या करना सबसे आसान हो गया है। एक डाकू, बलात्कारी और हत्यारे को भी मृत्युदण्ड प्राप्त होने के पूर्व उसे अपना पक्ष न्यायाधीश के सामने रखने का



अधिकार दिया जाता है, अपने जीवन को बचाने के मौके दिये जाते हैं परन्तु एक मासूम बालक की स्थिति आज उससे भी बदतर हो गई है। पेट में जो बच्चा है वह बोल नहीं सकता, देख नहीं सकता, चल नहीं सकता, भावनाएं व्यक्त नहीं कर सकता इसीलिए वह मनुष्य नहीं, यह कहना उचित नहीं है। यदि ऐसा कोई मानकर भी चले तो फिर हमें यह भी मानना पड़ेगा कि कोई भी अंधा, गूंगा, विकलांग, अविकसित व्यक्ति भी मानव नहीं है। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान भी इस तथ्य की पुष्टि करता है कि गर्भ शिशु में भी मानवीय संवेदनाएं होती हैं। लिंग निर्धारित हो जाता है। मगर इसके बावजूद न सिर्फ़ भारत में बल्कि सारे संसार में; यहां तक कि आधुनिकता की दौड़ में सबसे आगे कहे जाने वाले देशों में भी स्त्री गर्भपात हो रहा है। गर्भ शिशु परीक्षण (एम्ब्र्यो टेस्टिंग) के द्वारा काफी पहले ही पता लगा लिया जाता है कि गर्भ में पलने वाला बच्चा लड़का है अथवा लड़की। अत: यह जानते ही कि गर्भ में लड़की है, माँ बाप या उनके घर वाले गर्भपात करवा लेते हैं।



हमारे इस सन्देश में हम आपके सामने कुछ महत्वपूर्ण बातें रखना चाहते हैं जिससे आप समझ सकें कि आज स्त्री गर्भपात कितनी आसानी और कितनी अधिकता से हो रहा है। एक सर्वेक्षण के अनुसार भारत में ४०% बच्चों की हत्या गर्भपात के नाम पर की जाती है। इंग्लैंड में २५% बच्चे गर्भपात के द्वारा समाप्त कर दिये जाते हैं, चीन में जन्म लेने वाली ६०% लड़कियों को पैदा होते ही या पैदा होते साथ मार डाला जाता है। अमेरिका में प्रतिदिन ४,५०० गर्भपात होते हैं। औसतन हर २० सेकेण्ड में पूरे संसार में एक गर्भपात हो जाता है। एक घंटे में १८० बच्चों की हत्या कर दी जाती है। जितनी समय में आप ये सन्देश सुनेंगे उतने समय में लगभग : ९० बच्चे गर्भ में ही समाप्त कर दिये जा चुके होंगे।

इस विषय को और अधिक स्पष्टता से समझने के लिये हमें ये भी देखना पड़ेगा कि आज सारे संसार में गर्भपात के संदर्भ में लोगों की क्या प्रतिक्रियाएं हैं; और उनके क्या विचार हैं। सबसे पहला विचार लोगों का यह है की गर्भ शिशु (Foetus) से माँ -

बाप की आर्थिक और शारीरिक परिस्थिति अधिक प्रमुख होती है। उनकी दूसरी प्रतिक्रिया यह है कि, परिस्थिति और माता की इच्छा के अनुसार, गर्भपात को उचित माना जा सकता है।



इस मत के मानने वालो का तर्क (लॉजिक) ये है कि ;

१. घर में वैसे ही बहुत बच्चे हैं।

२. अनचाहे बच्चों के जन्म से समस्याएं बढ़ेंगी।

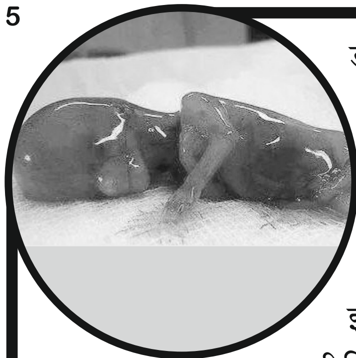
३. परिवार की आय कम है।

४. कार्य नया-नया शुरू किया है, बच्चे का जन्म होने पर उसे छोड़ना पड़ेगा।

५. माता की शिक्षा जारी है, वह दोनों ज़िम्मेदारियों को कैसे उठा सकेगी।

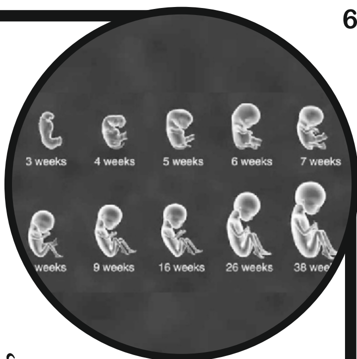
६. पति मारपीट करने वाला है, शराब पीकर बच्चों को मारता है। नये जन्मे बच्चे को भी उसी कष्ट से गुज़रना पड़ेगा

डॉ. रैमसे के अनुसार कुछ ही परिस्थितियों में गर्भपात को उचित माना जा सकता है और ये केवल एक है, यदि माँ के



डॉ. रैमसे के अनुसार एक ही परिस्थिति में गर्भपात को उचित माना जा सकता है, वह यह है कि माँ के जीवन को किसी भी रूप से खतरा हो। इसके अलावा किसी भी परिस्थिति में गर्भ में शिशु की हत्या मानव की हत्या के बराबर है। यदि हम कहें कि हमारे सामने आने वाली कठिनाई के कारण हमारे बच्चे की हत्या गर्भ में ही करना कानूनन जायज़ है या उचित है तो फिर हर एक समस्या पैदा करने वाले व्यक्ति की हत्या करना भी जायज़ होनी चाहिए। यदि इस तर्क को संसार में कानूनी मान्यता दे दी जाये जिस आधार पर गर्भपात को कानूनी मान्यता प्रदान की गई है तो फिर इस आधार पर हत्या करना ग़ैर कानूनी नहीं रह जायेगा। आप स्वयं सोच सकते हैं कि तब संसार का क्या हाल होगा ?

स्वीडिश फोटोग्राफर लेनर्ड नेल्सन ने इस तथ्य की पुष्टि में अपनी पुस्तक में गर्भ शिशु की विभिन्न अवस्थाओं के चित्र लिये हैं जो कि यह बताते हैं कि गर्भ शिशु भी एक मानव जीवन



है क्योंकि ;

☛ ५ सप्ताह में बच्चे का दिल धड़कने लगता है।

☛ ६ सप्ताह में १/४ इंच आकार होते हुए भी सिर/धड़ दिखाई देने लगता है।

☛ ६ सप्ताह में मस्तिष्क का कार्य करना शुरू हो जाता है।

☛ ८ हफ्ते में उंगलियां और हथेली तक बन जाती है।

☛ १० से १२ हफ्ते में बच्चा हाथ हिला सकता है, अंगूठा मुंह तक लाकर चूस सकता है।

☛ १३ हफ्ते में शरीर का हर भाग पूर्णत: स्पष्ट हो जाता है। यहां तक कि हाथ की लकीरें और फिंगर प्रिंट्स (उंगलियों के निशान) तक उभर आते हैं।

☛ १५ हफ्ते में हिलना-डुलना, घबराना, अंधेरे, उजाले का अहसास करना, खुशी का अहसास होना शुरू कर देता है।

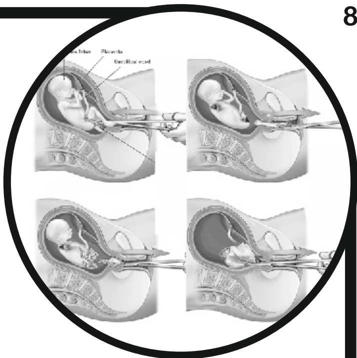




☛ २५ हफ्ते में आंख स्पष्ट, भौंह, बाल उग आते हैं, रोने की क्षमता आ जाती है।

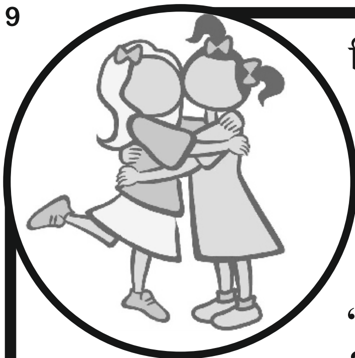
इसी तरह से पवित्र कुरआन में भी अल्लाह ने इंसान के निर्माण के बारे में कहा है।

“ तथा नि: संदेह हमने मनुष्य को खनखनाती मिट्टी के सार से उत्पन्न किया । फिर उसे वीर्य बनाकर सुरक्षित स्थान में रख दिया । फिर वीर्य को हमने जमा हुआ रक्त बना दिया, फिर उस रक्त के लोथड़े को मांस क टुकड़ा बना दिया । फिर मॉस के टुकड़े में अस्थियाँ बनायीं, फिर अस्थियों को मांस पहना दिया । फिर एक अन्य रूप में उसे उत्पन्न कर दिया । मंगलमय है वह अल्लाह जो सबसे अच्छी उत्पत्ति करने वाला है ” ।(कुरआन २३ : १२ से १४)



हमें हमारे रचयिता ने माँ के पेट में ही जीवन दे दिया है इसलिए जान बूझकर किया गया गर्भपात योजनाबद्ध हत्या का कार्य है। बच्चा जो गर्भ में अल्लाह की तरफ से विकसित हो रहा है, जो अबोध है, जो बोल नहीं सकता, चिल्ला नहीं सकता, जीवन की भीख नहीं मांग सकता, हत्या के लिए बढ़ने वाले औज़ार को वह रोक नहीं सकता, उसके जीवन की रक्षा गर्भ में ही नहीं बल्की उसके बाहर निकलने के बाद भी होना चाहिए। क्योंकि लड़कियों को गर्भ में ही नहीं बल्कि पैदा होने के बाद भी उनकी हत्या कर देना पुराना रिवाज था। जहाँ लड़िकयों को पसंद नहीं किया जाता था और उन्हें पैदा होते ही मार दिया जाता था।

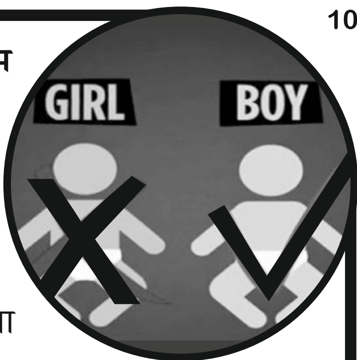
पैगम्बर मोहम्मद सल्लल्लाहु आलिहि वसल्लम और कुरआन के आने से पहले नवजात बच्चियों को जिंदा दफन करने का रिवाज आम था। पैगम्बर मोहम्मद सल्लल्लाहु आलिहि वसल्लम ने, न सिर्फ इस जहिलाना रिवाज का अंत



किया बल्कि मर्दों के साथ साथ औरतों को भी जिंदा रहने का अधिकार दिया। एक हदीस में पैगम्बर मोहम्मद सल्लल्लाहु आलिहि वसल्लम ने कहा है कि **“जिस किसी के पास दो लड़कियां हों और वह उनके ऊपर कृपा करे तो वह दोनों लड़कियां उस व्यक्ति के लिए नरक की आग से सुरक्षा कवच बन जायेंगी”।**

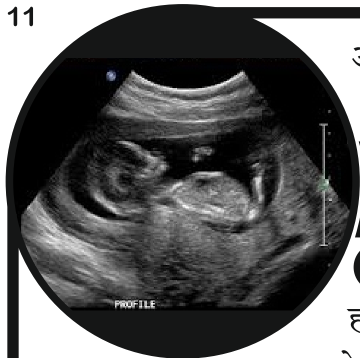
अपने अंतिम सन्देश कुरआन में अल्लाह ने किसी भी तरह से मनुष्य को नाहक क़त्ल करने से मना किया है। **“ अपनी संतान का गरीबी के कारण हत्या न करो, हम तुमको तथा उनको जीविका प्रदान करते हैं ” (कुरआन ६ : १५१)**

“ तथा निर्धनता के भय से अपनी संतानों को न मार डालो ! उनको तथा तुमको हम ही जीविका प्रदान करते हैं। निः संदेह उनकी हत्या करना महापाप है।” (कुरआन १७ : ३१)



गर्भपात या गर्भ हत्या के काम सिर्फ जीवन के लिए हानिकारक नहीं, बल्की उसके करने से तो मरने के बाद भी उसका नुकसान है । हमें हमारे रचियता अल्लाह ने जीवन दिया है, इसलिए हमें जीवन में क्या करना चाहिये क्या नहीं, वही बेहतर बता सकता है। उसने अपने अंतिम ग्रन्थ **"पवित्र कुरआन"** में सारे मनुष्यों को गर्भपात या गर्भ हत्या करने से मना किया है।

इसलिए हमारी यह ज़िम्मेदारी है कि हम हमारे रचयिता की आज्ञा का पालन करते हुए गर्भ हत्या से बचें, नहीं तो कही ऐसा न हो की वह हमें मरने के बाद नरक में डाल दे । न्याय के दिन अल्लाह सवाल करेगा जो कुरान ८१: ८-९ में स्पष्ट है **" तथा जब जीवित गाड़ी गई लड़कियों से सवाल किया जायेगा, कि किस पाप के कारण उनकी हत्या की गयी"** उस दिन गर्भ में अपनी बहन-बेटी की हत्या करने वालो को इस जुर्म के कारण अल्लाह दंड ज़रूर देगा।



अब सवाल यह उठता है कि हम इससे कैसे बचें ?

गर्भपात या गर्भ हत्या से बचने के कुछ उपाय :

१. अपनी उस प्रतिक्रिया के प्रति हमें पश्चात्ताप करना है जिसके द्वारा हमने गर्भपात को बहुत आसानी से स्वीकार कर लिया है। यदि हमने अपने परिवार में ऐसा किया है या ऐसा होने दिया है।

२. चाहे गर्भ में लड़का हो या लड़की हमें उन दोनों को अल्लाह की तरफ से सप्रेम भेंट समझकर अपनाना चाहिए ।

३. भारत में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ़ प्रेगनेंसी एक्ट, १९७१ के अनुसार गर्भपात २० हफ्ते के अंतर्गत अगर किया जाये तो उसपे कोई गुनाह नहीं है। इस कानून की जानकारी सभी लोगों को होनी चाहिए। सरकार से निवेदन करना चाहिये कि भारत में गर्भपात को ग़ैर कानूनी करार दिया जाये। हमें गर्भपात को कानूनी मान्यता प्रदान करने वाली इस व्यवस्था के प्रति विरोध करना चाहिए जो कि अल्लाह की व्यवस्था का खुला विरोध कर रही है

४. नाजायज़ रिश्तों और शादी से पहले सेक्स की वजह से बहुत गर्भपात होते हैं। इन रिश्तों से बचना चाहिए।

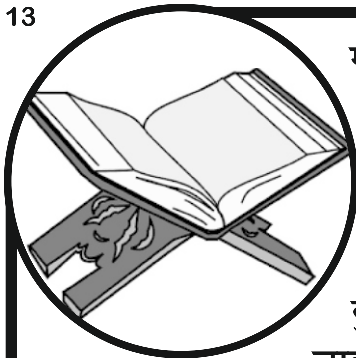


५. गरीब गर्भवती औरतों को पैसों और काम देकर मदद करनी चाहिए ताकि वोह गर्भपात की तरफ न जाएँ।

अपने रचयिता अल्लाह का डर, बेशक अगर आप यह समझ जाएँ की आपका निर्माण करने वाला आप को देख रहा है और हर काम जो आप इस जीवन में करते हैं उसका वह हिसाब लेगा, तो यही समझ और अल्लाह का डर आपको हर बुराई से रोकने के लिए काफी है।

क्योंकी कान तथा आँख एवं दिल इनमें से प्रत्येक से पूछताछ की जाने वाली है। (कुरआन १७:३६)

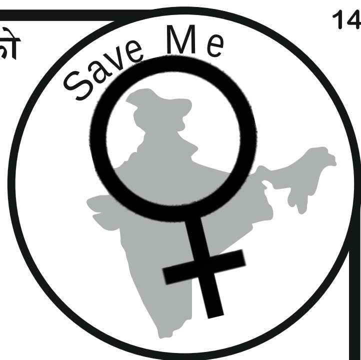
मनुष्य के लिए क्या लाभ दायक है यह सिर्फ उसका रचयिता ही बता सकता है। हमें चाहिए की हम हमारे रचयिता के मार्गदर्शन पर चलें और उसकी शिक्षाओं के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करें। स्त्री गर्भपात जैसे महापाप को रोकने के अलावा ऐसी कई शिक्षाएं हैं जो अल्लाह (हम सबके रचयिता) ने पवित्र कुरआन में सारे



मानवजाति के लिए नसीहत के तौर पर अवतरित की है । इसलिए हम अल-बिर्र फाउंडेशन की और से सभी भाइयों और बहनों को पवित्र कुरआन पढ़ने का निमंत्रण देना चाहते हैं जो सिर्फ मुस्लिम समाज के लिए ही नहीं बल्कि सारे मानवजाति के लिए एक मार्गदर्शन और अच्छी शिक्षाओं से भरा एक पवित्र ग्रन्थ है।

वह रमज़ान का महीना है जिसमें कुरआन उतारा गया है सारी मानवजाति के मार्गदर्शन के लिए, और मार्गदर्शन भी साफ़ सबूतों के साथ और सत्य – असत्य को परखने की कसौटी (फुरकान) के साथ। (कुरआन २: १८५)

अल-बिर्र फाउंडेशन आपको पवित्र कुरआन की भेंट नि:शुल्क देना चाहती है जो की अंग्रेजी, हिंदी, मराठी, गुजराती, और कई भाषाओँ में उपलब्ध है ।



हमें पूरा विश्वास है कि अगर सारे मनुष्य पवित्र कुरआन को अपना मार्गदर्शन बना लें तो ही गर्भपात या गर्भ हत्या हर अन्याय से हर बेटी को बचाने में हमें सफलता मिलेगी और भारत भी अच्छा हो जायेगा।

तो देरी किस बात की, स्त्री गर्भपात के खिलाफ खड़े हो जाओ और भारत को बेहतर बनाओ। अगर भारत को एक स्वच्छ, सुरक्षित और शक्तिशाली देश बनाना है तो हमें समाज से स्त्री गर्भपात खत्म करना ही होगा।

स्त्री गर्भपात से हर बेटी को बचाओ

अपने शरीर और आत्मा के संपूर्ण मार्गदर्शन के लिए पढ़िये पवित्र कुरआन।

अपनी भाषा में पवित्र कुरआन की नि:शुल्क कॉपी को आर्डर करने के लिए अभी कॉल करें, यह भेंट सारे धर्म और जाति के लिए उपलब्ध है।

आर्डर के लिए आप को सिर्फ अपना

- ☑ **१. नाम**
- ☑ **२. मोबाइल नंबर**
- ☑ **३. घर का पोस्टल एड्रेस**
- ☑ **४. कुरआन की भाषा**

नीचे दिए गए मोबाइल नंबर पर कॉल या एस एम् एस के द्वारा भेजना है और पवित्र कुरआन आपके घर तक नि:शुल्क पहुंचाया जायेगा।



अभी कॉल करें:

+91-8767333555 / 9920370659

www.albirr.in

81/82, Kotwala House, Dr. Mascarenhas Road,
Sitafal Wadi, Mazgaon, Mumbai - 400 010. INDIA